S. C. R. B.

Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2017/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 3 मई, 2017
(12 वैशाख, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग–II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग–III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 33/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2017, दिनांक 3 मई, 2017 – हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2017.	379–399
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग–IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 मई, 2017

संख्या का०आ० 33/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2017.— हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 92 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

सामान्य भाग—1

1. ये नियम हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्युरो (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25);

(ख) ''ब्यूरों'' से अभिप्राय है, चार विंग अर्थात् (i) अंगुल छाप शाखा, (ii) अपराध अभिलेख कार्यालय, (iii) कम्प्यूटर विंग तथा (iv) कार्य प्रणाली शाखा को समाविष्ट करते हुए राज्य अपराध अभिलेख ब्युरो;

(ग) ''प्रतिनियुक्ति'' से अभिप्राय है, पुलिस विभाग हरियाणा अर्थात् जिला पुलिस, सशस्त्र पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस, दूरसंचार विंग और पुलिस कमांडो बल में से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए की गई कोई नियुक्ति;

(घ) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, हरियाणा;

(ड.) ''पुलिस महानिदेशक'' से अभिप्राय है, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा;

(च) ''विशेषज्ञ'' से अभिप्राय है, पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षक की हैसियत के समकक्ष कोई कर्मचारी;

(छ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(ज) ''मुख्य वर्गीकारक'' से अभिप्राय है, पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक की हैसियत के समकक्ष कोई कर्मचारी;

(झ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(ञ) ''कनिष्ठ वर्गीकारक'' से अभिप्राय है, पुलिस विभाग में सिपाही की हैसियत के समकक्ष कोई कर्मचारी;

(ट) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालयः या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्राय है हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (ग्रुप ग) सेवा;

(ड) ''वरिष्ठ वर्गीकारक'' से अभिप्राय है, पुलिस विभाग में मुख्य सिपाही की हैसियत के समकक्ष कोई कर्मचारी;

(ढ) ''पुलिस अधीक्षक'' से अभिप्राय है, पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, हरियाणा; तथा

(ण) ''पर्यवेक्षक'' से अभिप्राय है, पुलिस विभाग में पुलिस निरीक्षक की हैसियत के समकक्ष कोई कर्मचारी।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिए गए हैं।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या और उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थाई रूप से बनाने के लिए सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो:–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा केवल आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर सके।

नियुक्ति प्राधिकारी।

5. सेवा में पदों पर नियुक्ति इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना 3 में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

योग्यताएं।

6. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक प्रतिनियुक्ति या पदोन्नति पर नियुक्ति की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव नहीं रखता हो।

अयोग्यताएं

7. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/ पत्नी वाले किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/ पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

8. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,–

(क) पर्यवेक्षक की दशा में, 100 प्रतिशत विशेषज्ञों में से पदोन्नति द्वारा;

(ख) विशेषज्ञों की दशा में, 100 प्रतिशत मुख्य वर्गीकारकों में से पदोन्नति द्वारा;

(ग) मुख्य वर्गीकारक की दशा में, 100 प्रतिशत वरिष्ठ वर्गीकारकों में से पदोन्नति द्वारा;

(घ) वरिष्ठ वर्गीकारक की दशा में, 100 प्रतिशत कनिष्ठ वर्गीकारकों में से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ड.) कनिष्ठ वर्गीकारक की दशा में, 100 प्रतिशत पुलिस विभाग के सिपाहियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा से उपबन्धित न हो, केवल ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। चयन के मुख्य आधार दक्षता और ईमानदारी होंगी। विशेष अहर्ताओं पर, चाहे पास किए गए प्रशिक्षण पाठयक्रम या व्यवहारिक अनुभव के रूप में हों, प्रत्येक मामले में ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा। जब ब्यूरो में दो कर्मचारियों की अर्हताएं अन्यथा समान हों, तो सेवा में वरिष्ठ को पदोन्नत किया जाएगा।

9. चयन समिति, निदेशक, पुलिस अधीक्षक और निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पुलिस उप–अधीक्षक से मिलकर बनेगी और निदेशक द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। चयन समिति।

10. निदेशक जब कभी सभी पुलिस युनिटों में कनिष्ठ वर्गीकारकों की होने वाली रिक्तियों को अधिसूचित करेगा। चयन समिति आवेदनों की समीक्षा करेगी और साक्षात्कार के बाद पात्र उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। सभी चयनित सिपाही ब्यूरो में सिपाही के रूप में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे तब जक वे प्रथम कोर्स के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा अर्हक नहीं कर लेते। प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी मास में आयोजित की जाएगी। प्रथम कोर्स के लिए प्रतियोगिता परीक्षा सभी चयनित सिपाहियों द्वारा तीन वर्ष की अवधि के भीतर अर्हित की जाएगी जिसमें असफल रहने पर उसे उसकी मूल यूनिट में तुरन्त प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। प्रत्येक सिपाही को प्रथम कोर्स प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए दो अवसर दिए जाएंगे। पुलिस सिपाही पुलिस विभाग, हरियाणा में तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद ही ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा। सभी चयनित सिपाही प्रथम कोर्स के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। प्रथम कोर्स इन नियमों के परिशिष्ट ङ भाग–IV में वर्णित मानदंड के अनुसार आयोजित किया जाएगा। सिपाही, जो प्रथम कोर्स के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेता है, को कनिष्ठ वर्गीकारक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और ब्यूरो के संवर्ग में ऐसे रूप में समायोजित किया जायगा इस प्रकार समायोजित प्रत्येक कनिष्ठ वर्गीकारक को ब्यूरो की स्थायी संख्या आबंटित की जाएगी। चयन प्रक्रिया।

11. (1) सेवा के प्रत्येक सदस्य को परिशिष्ट ङ में अधिकथित मानदंड के अनुसार विभागीय कोर्सों को पास करना होगा और यदि सेवा का सदस्य विभागीय कोर्स पास करने में असफल रहता है, तो वह पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह विहित विभागीय कोर्स पास नहीं कर लेता। विभागीय कोर्स।

(2) विभागीय कोर्सों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो सरकार के अनुमोदन से पुलिस महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) निदेशक की सिफारिश पर पुलिस महानिदेशक किसी व्यावसायिक और प्रशासकीय अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु वर्तमान अमले के लिए विशेष कोर्सिज विनिर्दिष्ट कर सकता हैं।

12. ब्यूरो में ज्येष्ठता, प्रथम कोर्स में सेवा के सदस्य द्वारा प्राप्त मैरिट के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यह ज्येष्ठता किसी भी रूप में भंग नहीं की जाएगी। ज्येष्ठता।

13. सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा। सेवा के लिए दायित्व।

14. वेतन, छुट्टी, पेंशन और अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ, द्वारा शासित होंगे। वेतन, छुट्टी, पेंशन और अन्य मामले।

15. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ, के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे। इस नियम के प्रयोजन के लिए सिपाही, मुख्य सिपाही, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक को लागू उपबन्ध क्रमशः कनिष्ठ वर्गीकारक, वरिष्ठ वर्गीकारक, मुख्य वर्गीकारक, विशेषज्ञ तथा पर्यवेक्षक को लागू होंगे: अनुशासन, शास्तियाँ तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना। 16. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा और जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ। 17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तब उसने पहले ही भारत के प्रति विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति। 18. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां कारण लिखकर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबंध। 19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण। 20. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आरक्षित प्रवर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति। 21. हरियाणा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो ग्रुप ग सेवा नियम, 1997, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	पर्यवेक्षक	05	..	05	स्तर–7 सेल–I ₹ 44900/–
2.	विशेषज्ञ	26	..	26	स्तर–6 सेल–I ₹ 35400/–
3.	मुख्य वर्गीकारक	08	..	08	स्तर–5 सेल–I ₹ 29200/–
4.	वरिष्ठ वर्गीकारक	09	..	09	स्तर–4 सेल–I ₹ 25500/–
5.	कनिष्ठ वर्गीकारक	33	03	36	स्तर–3 सेल–I ₹ 21700/–

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 6)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3	4
1.	पर्यवेक्षक	————	विशेषज्ञ तथा मुख्य वर्गीकारक के रूप में कम से कम आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष, वर्ष जिसमें उसे परिशिष्ट ङ के भाग I के अनुसार पदोन्नति हेतु विचारा जा रहा है, के जनवरी मास के प्रथम दिन को विशेषज्ञ के रूप में की हों।
2.	विशेषज्ञ	————	मुख्य वर्गीकारक के रूप में एक वर्ष का अनुभव जो परिशिष्ट ङ. के भाग II में यथाविहित शर्त पूरी करता हो।
3.	मुख्य वर्गीकारक	————	वरिष्ठ वर्गीकारक में से पदोन्नति द्वारा जो परिशिष्ट ङ के भाग III यथाविहित शर्तें पूरी करते हों।
4.	वरिष्ठ वर्गीकारक	————	कम से कम पांच वर्ष की सेवा रखने वाले कनिष्ठ वर्गीकारक में से पदोन्नति द्वारा जो परिशिष्ट ङ के भाग IV में यथाविहित शर्तें पूरी करते हों।
5.	कनिष्ठ वर्गीकारक	————	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विज्ञान विषय में स्नातक; (ii) मैट्रिक/उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी तथा संस्कृत।

टिप्पण.— ब्यूरो में वर्तमान सेवा के सदस्य (स्थाई, प्रतिनियुक्ति और अस्थाई ड्यूटी) के लिए किसी पद पर पदोन्नति और समायोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता वही होगी जो इस प्रकार निरसित नियम में विहित है।

परिशिष्ट ग

(देखिए नियम 15)

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी यदि कोई है।
1	2	3	4	5	6	7
	छोटी शास्तियां					
1	पर्यवेक्षक	निदेशक	(i) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धि रोकना	पुलिस अधीक्षक	निदेशक	पुलिस महानिदेशक
			(ii) परिनिन्दा (iii) व्यक्तिगत फाइल पर प्रति के साथ चेतावनी	पुलिस अधीक्षक	कोई अपील नहीं।	
2 3 4 5	विशेषज्ञ, मुख्य वर्गीकारक वरिष्ठ वर्गीकारक कनिष्ठ वर्गीकारक	पुलिस अधीक्षक	(i) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धि रोकना	पुलिस अधीक्षक	निदेशक	पुलिस महानिदेशक
			(ii) परिनिन्दा (iii) व्यक्तिगत फाइल पर प्रति के साथ चेतावनी	पुलिस अधीक्षक	कोई अपील नहीं।	....
	बड़ी शास्तियां					
1	पर्यवेक्षक	निदेशक	(i) बर्खास्तगी या पदच्युति (ii) पदनावत (iii) संचयी प्रभाव सहित वेतनवृद्धि रोकना	निदेशक	पुलिस महानिदेशक	सरकार
2 3 4 5	विशेषज्ञ मुख्य वर्गीकारक वरिष्ठ वर्गीकारक कनिष्ठ वर्गीकारक	पुलिस अधीक्षक	(i) बर्खास्तगी या पदच्युति (ii) पदनावत (iii) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धि रोकना (i) बर्खास्तगी या पदच्युति (ii) संचयी प्रभाव सहित वेतनवृद्धि रोकना	पुलिस अधीक्षक	निदेशक	पुलिस महानिदेशक / सरकार

परिशिष्ट घ

(देखिए, नियम 15)

क्रम संख्या	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	पर्यवेक्षक	(i) पेंशन को शास्ति करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय साधारण/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना			
		(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा सेवा के सदस्य की नियुक्ति, की समाप्ति	निदेशक	पुलिस महानिदेशक	सरकार
2	विशेषज्ञ	(i) पेंशन को शास्ति करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय साधारण/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना			
3	मुख्य वर्गीकारक		पुलिस अधीक्षक	निदेशक	पुलिस महानिदेशक/सरकार
4	वरिष्ठ वर्गीकारक				
5	कनिष्ठ वर्गीकारक	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा सेवा के सदस्य की नियुक्ति की समाप्ति			

परिशिष्ट ङ

(देखिए नियम 11)

क्रम संख्या	पदनाम	कोर्स के नाम	पदोन्नति सूचियों को बनाए रखने के लिए कोर्स के विवरण तथा अन्य शर्तें
1	2	3	4

भाग–I

1.	पर्यवेक्षक	....	पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य समझे गए विशेषज्ञो के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा निदेशक को सिफारिश की जाएगी। सिफारिश तथा सेवा रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद, निदेशक इस प्रकार प्राप्त की गई सिफारिशों को पृष्ठाकिंत करने के लिए विनिश्चय करेगा तथा उन्हें पुलिस महानिदेशक को भेजेगा। पुलिस महानिदेशक ब्यूरों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार सिफारिश किये गये विशेषज्ञों की ज्येष्ठता अनुक्रम में तैयार करेगा।

भाग–II

2.	विशेषज्ञ	तृतीय कोर्स	सभी मुख्य वर्गीकारकों को विशेषज्ञों की पदोन्नति सूची में शामिल होने से पूर्व सफलतापूर्वक पदोन्नति कोर्स जिसे तृतीय कोर्स कहा गया है, पास करना होगाः परन्तु सभी मुख्य वर्गीकारक, जिन्होंने राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट बोर्ड परीक्षा को सफलता पूर्वक पास कर लिया है, को तृतीय कोर्स पास करने से छुट होगी, ब्युरो में सभी पदों के कर्मचारियों को इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा अनुज्ञात किया गया है, बशर्तें कि उन्होंने फिंगर प्रिन्ट शाखा में तीन वर्ष की सेवा दी हो। जब विशेषज्ञों के लिए पदोन्नति के मामले लिए जाते है, तो कर्मचारी जिन्होंने अखिल भारतीय फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट बोर्ड परीक्षा को पास कर लिया है, को रिक्तियों पर निर्भर रहते हुए पहले विचारा जाएगा। मुख्य वर्गीकारकों की सूची जो विशेषज्ञ के पंद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं, निदेशक के पूर्व अनुमोदन से निदेशक के कार्यालय में रखी जाएगी। चयन प्रत्येक वर्ष जनवरी के मास में किया जाएगा तथा रिक्तियों की संख्या विशेषज्ञों के पद तक सीमित होगी।

भाग–III

3.	मुख्य वर्गीकारक	द्वितीय कोर्स	वे सभी वरिष्ठ वर्गीकारक जिन्होंने द्वितीय कोर्स पास कर लिया है, की पदोन्नति सूची निदेशक के कार्यालय में रखी जाएगी। उनकी आगे पदोन्नति मुख्य वर्गीकारक के पद की रिक्तियों और उसी के लिए उनकी उपयुक्तता पर निर्भर करेगी।

भाग–IV

4.	वरिष्ठ वर्गीकारक	प्रथम कोर्स	(1) पुलिस अधीक्षक उन सभी कनिष्ठ वर्गीकारक की सूची बनाएगा जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा पास की है। उन्हें वरिष्ठता और सेवा रिकार्ड के अनुसार प्रथम कोर्स के लिए भेजा जाएगा। वरिष्ठ वर्गीकारक के रैंक पर उनकी पदोन्नति, प्रथम कोर्स में प्राप्त की गई योग्यता और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। (2) सभी कनिष्ठ वर्गीकारक, जो विज्ञान स्नातक है, उनकी आयु पर विचार किए बिना प्रथम कोर्स में प्रवेश हेतु पात्र होंगे बशर्ते उन्होने वर्ष, जिसमें चयन किया गया है, के जनवरी मास के प्रथम दिन को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (3) शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक नीचे दिए गए अनुसार होंगेः– (i) स्नातक — 5 अंक (ii) स्नातकोत्तर डिग्री / उपाधि –पत्र — 8 अंक

(iii) अंगुल छाप / विधि विज्ञान में उपाधि–पत्र 3 अंक

(4) चयन किए जाने वाले वर्ष से तुरन्त पूर्वगामी वर्ष के प्रथम दिन को अथवा उससे पूर्व पास किए गए प्रशिक्षण कोर्स के लिए अंक निम्नानुसार होंगे :–

दो सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण कोर्स हेतु :	1/2 अंक
दो सप्ताह की अवधि से अधिक किन्तु चार सप्ताह से अधिक नहीं हो, के प्रशिक्षण कोर्स हेतु :	1 अंक
चार सप्ताह की अवधि से अधिक किन्तु छह सप्ताह से अधिक नहीं हो, के प्रशिक्षण कोर्स हेतु :	1.5 अंक
छह सप्ताह की अवधि से अधिक किन्तु आठ सप्ताह से अधिक नहीं हो, के प्रशिक्षण कोर्स हेतु :	2 अंक
आठ सप्ताह की अवधि से अधिक किन्तु बारह सप्ताह से अधिक नहीं हो, के प्रशिक्षण कोर्स हेतु :	3 अंक
बारह सप्ताह की अवधि से अधिक किन्तु सोलह सप्ताह से अधिक नहीं हो, के प्रशिक्षण कोर्स हेतु :	4 अंक
सोलह सप्ताह की अवधि से अधिक किन्तु बीस सप्ताह से अधिक नहीं हो, के प्रशिक्षण कोर्स हेतु :	5 अंक
बीस सप्ताह की अवधि से अधिक के प्रशिक्षण कोर्स हेतु :	6 अंक

(5) प्रशिक्षण कोर्स के लिए अधिकतम 15 अंक दिए जाएगें। वर्ष, जिसमें चयन किया गया है, के पूर्वगामी वर्ष के 31 दिसम्बर तक उम्मीदवारों द्वारा पास केवल प्रशिक्षण कोर्स को अंक प्रदान करने हेतु हिसाब में लिया जाएगा। ऐसे प्रशिक्षण कोर्सो के लिए अंक दिए जाऐंगे जिनका आचरण पंजी में इन्द्राज किया गया है। आगे प्रतियोगी परीक्षा के बाद चयन सुची तैयार करते हुए दिए अंको के लिए सभी ऐसे कोर्सों की सुची वार्षिक रूप से जारी की जाएगी। यदि कोई कनिष्ठ वर्गीकारक जानबुझकर प्रशिक्षण कोर्स में असफल रहता है, तो उसे प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिए जाने वाले अंको के बराबर नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

(6) प्रशंसा–पत्र के लिए अंक नीचे दिए गए अनुसार होंगे:–

प्रथम श्रेणी	3 अंक
द्वितीय श्रेणी	2 अंक
तृतीय श्रेणी	1 अंक

(7) प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के प्रशंसा–पत्र के लिए अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे और किसी भी मामले में अधिकतम सीमा से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रशंसा–पत्र हेतु अंक देने के प्रयोजन हेतु, केवल उन प्रशंसा–पत्रों पर विचार किया जाएगा जो वर्ष, जिसमें चयन किया गया है, के पूर्वगामी वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व प्रदान किए गए हैं।

(8) सेवा अवधि के लिए अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:–

(i) 5 से 10 वर्ष की सेवा के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु : 2 अंक;

(ii) 10 साल से 20 तक की सेवा अवधि हेतु 5 वर्ष की प्रत्येक पूर्ण सेवा के बाद वर्ष के लिए 2 अंक की दर पर अधिकतम 24अंक।

(9) रंगरुट बेसिक कोर्स में प्राप्त स्थानों के आधार पर निम्नानुसार अंक दिए जाएंगे:–

सर्वतोमुखी प्रथम	7 अंक
सर्वतोमुखी द्वितीय	5 अंक

सर्वतोमुखी तृतीय	3 अंक
सर्वतोमुखी चतुर्थ से दस तक	2 अंक

(10) शास्ति के लिए कटौती किए जाने वाले अंक नीचे दिए गए अनुसार होंगे:–

प्रत्येक बड़ी शास्ति हेतु:	5 अंक
प्रत्येक छोटी शास्ति हेतु	2 अंक
प्रत्येक परिनिंदा हेतु	1 अंक

(11) वह कनिष्ठ वर्गीकारक, जिसको बड़ी शास्ति दी गई है,को तीन कलैण्डर वर्ष के लिए प्रथम कोर्स के लिए विचारा नहीं जाएगा। बड़ी/छोटी शास्ति के लिए अंको की कटौती करने के प्रयोजन हेतु, केवल उन शास्तियों, जो वर्ष, जिसमें चयन किया गया है, से पुर्वगामी वर्ष के दिसम्बर मास के 31वें दिन से पुर्व दी गई है, पर विचार किया जाएगा।

(12) यदि, प्रथम कोर्स सूची (प्रतियोगी परीक्षा के बाद तैयार की गई) में प्रवेश के लिए चयन के समय पर, दो कनिष्ठ वर्गीकारकों के अंक समान पाए जाते हैं, तो कनिष्ठ वर्गीकारक, जो सेवा में वरिष्ठ है, को पहले पदोन्नति कोर्स में प्रवेश के लिए चयनित किया जाएगा। यदि दो कनिष्ठ वर्गीकारकों के अंक समान है और वरिष्ठता भी समान है, तो उस कनिष्ठ वर्गीकारक को प्रथम कोर्स सूची के लिए चयनित किया जाएगा जिसकी रंगरूट कोर्स में मैरिट उच्चतर है।

(13) प्रथम कोर्स के लिए सुची तब तक अंतिम नहीं होगी जब तक निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है। वह पुलिस अधीक्षक को त्रुटियों/चूक, यदि कोई हो, की शुद्धि के लिए सूची वापस निर्दिष्ट करने में भी सक्षम होगा और विभागीय पदोन्नति समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु भी सक्षम होगा।

राम निवास,
अपर प्रमुख सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 3rd May, 2017

No. S.O. 33/H.A. 25/2008/S. 92/2017.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with sub-section (1) of section 92 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Crime Record Bureau (Group C) Service, namely:-

PART-I GENERAL

Short title.

1. These rules shall be called the Haryana State Crime Record Bureau (Group C) Service Rules, 2017.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008);

(b) "Bureau" means State Crime Record Bureau comprising of all four wings namely (i) Finger Print Branch, (ii) Crime Record Office, (iii) Computer Wing and (iv) Modus Operandi Branch;

(c) "deputation" means an appointment made by taking on deputation from within the Police department Haryana i.e. from District Police, Armed Police, Government Railway Police, Telecommunication wing and Police Commando Force;

(d) "Director" means Director State Crime Record Bureau, Haryana;

(e) "Director General of Police" means the Director General of Police, Haryana

(f) "expert" means an official equivalent to the status of a Sub-Inspector of Police in Police department

(g) "Government" means the Government of Haryana in the administrative department;

(h) "Head Classifier" means an official equivalent to the status of a Assistant. Sub Inspector in Police department;

(i) "institution" means,-

(i) any institution established by law in force in the state of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(j) "junior classifier" means an official equivalent to the status of a Constable in Police department;

(k) "recognised university" means,-

(i) any University incorporated by law in India

(ii) any other University which is declared by the Government to be a recognised University for the purpose of these rules;

(l) "Senior Classifier" means an official equivalent to the status of a Head Constable in Police department;

(m) "Service" means the Haryana State Crime Record Bureau (Group C) Service;

(n) "Superintendent of Police" means Superintendent of Police, State Crime Record Bureau, Haryana; and

(o) "supervisor" means an official equivalent to the status of an Inspector of Police in Police Department;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings assigned them respectively in the Act.

PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise of the posts shown in Appendix A to these rules: *Number and character of posts.*

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is:- *Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service.*

(a) Citizen of India; or

(b) A subject of Nepal; or

(c) A subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. Appointment to the posts in the Service Shall be made by the authority mentioned in column 3 of Appendix C to these rules. *Appointing authority.*

6. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 4 of Appendix B to these rules in case of appointment on deputation and promotion. *Qualifications.*

7. No person, *Disqualifications.*

(i) who has entered in to or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(ii) who, having a spouse living, has entered in to or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. (1) Recruitment to the service shall be made,- *Method of recruitment.*

(a) in case of Supervisor 100% by way of promotion from amongst experts;

(b) in case of Experts 100% by way of promotion from amongst Head Classifiers;

(c) in case of Head Classifiers 100% by way of promotion from amongst Senior Classifiers;

(d) in case of Senior Classifiers 100% by way of promotion from amongst Junior Classifiers; and

(e) in case of Junior Classifiers 100% by way of deputation from Constables of Police Department.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum- merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions. Efficiency and honesty shall be the main factors governing selection. Specific qualifications whether in the nature of training courses passed or practical experience, shall be carefully considered in each case. When the qualifications of two officials are otherwise equal the senior in service in the Bureau shall be promoted.

9. There shall be a Selection Committee consisting of Director, Superintendent of Police and one Deputy Superintendent of Police nominated by the Director and the same shall be headed by the Director. *Selection committee.*

Selection process. **10.** The Director shall notify the vacancy of junior classifiers whenever it occurs to all police units. The Selection Committee shall scrutinize applications and finalize names after interviewing the eligible candidates. All selected constables shall remain on deputation as constable in the Bureau till they qualify the competitive test to be held for first course. The competitive test shall be conducted in the month of January. The competitive test for first course shall be qualified within a period of three years by all selected constables failing which he shall be repatriated to his parent unit immediately. Every constable shall be given two chances to pass the competitive test for first course. A police constable shall be eligible to apply for deputation in Bureau only after completion of probation period of three years in the Haryana Police department. All selected Constables are eligible to participate in the competitive test to be held for first Course. First Course shall be conducted as per criteria mentioned in Appendix E Part-IV in these rules. A constable, who passes the competitive test for First Course, shall be designated as Junior Classifier and shall be absorbed as such in the cadre of the Bureau. Every Junior Classifier so absorbed shall be allotted permanent number of the Bureau.

Departmental courses. **11.** (1) Every member of the Service shall be required to undergo the departmental courses as per criteria laid down in Appendix E and if a member of service fails to pass the departmental courses, he shall not be eligible for promotion till such time he passes the prescribed departmental courses.

(2) The training curriculum for departmental courses shall be such, as specified by the Director General of Police with the approval of the Government.

(3) The Director General of Police on the recommendation of Director may specify special courses for the existing staff to meet out any professional and administrative requirement.

Seniority. **12.** Seniority in Bureau shall be determined as per the merit achieved by a member of service in the first course. This seniority shall not be disturbed at all.

Liability to serve. **13.** A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the state of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Pay, leave, Pension and other matters. **14.** In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by the Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of Haryana.

Discipline penalties and appeals. **15.** In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of Service shall be governed by the provisions of Punjab Police Rules, 1934, as applicable to the State of Haryana as amended from time to time. For the purpose of this rule, the provisions applicable to Constable, Head Constable, Assistant Sub-Inspector, Sub-Inspector and Inspector shall also be applicable to junior classifier, senior classifier, head classifier, expert and supervisor respectively:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C and D to these rules.

Vaccination. **16.** Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance. **17.** Every member of the service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the constitution of India as by law established.

Power of relaxation. **18.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions. **19.** Not with standing anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations. **20.** Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the person belonging to the reserved categories in accordance with the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

Repeal and savings. **21.** The Haryana State Crime Record Bureau (Group C) Service Rules, 1997, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Appendix A

(see rule 3)

Sr. No	Designation of Posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Supervisor	05	-	05	level-7,cell- I = ₹ 44900/-
2.	Expert	26	-	26	level-6, cell- I = ₹ 35400/-
3.	Head Classifier	08	-	08	level-5 ,cell- I = ₹ 29200/-
4.	Senior Classifier	09	-	09	level-4, cell- I = ₹ 25500/-
5.	Junior Classifier	33	3	36	level-3, cell- I = ₹ 21700/-

Appendix B

(see rule 6)

Sr. No.	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment.	Academic qualifications and experience, if any, for appointment by promotion.
1.	2.	3.	4.
1.	Supervisor	--------	At least eight years combined experience as Expert and Head Classifier, out of which at least five years shall have been as Expert as on the first day of January of the year in which he is being considered for promotion as per in part I of Appendix E.
2.	Expert	--------	one year experience as Head Classifier who fulfils the condition as prescribed in part II of Appendix E.
3.	Head Classifier	--------	By promotion from amongst Senior Classifier who fulfils the condition as prescribed in part III of Appendix E.
4.	Senior Classifier	--------	By promotion from amongst Junior Classifiers having not less than five years service who fulfils the condition as prescribed in part IV of Appendix E.
5.	Junior Classifier	--------	(i) Bachelor in Science from any recognized university/ Institution; (ii) Hindi/Sanskrit up to matric standard/Higher education.

Note.— The academic qualifications for promotion or absorption to any post in the bureau for existing member of the service (permanent, on deputation and temporary duty) shall be the same as prescribed in the rules so repealed.

Appendix C

(see rule 15)

Sr. No.	Designation of Posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalties	Appellate Authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
			Minor Penalties			
1	Supervisor	Director	(i). Stoppage of Increment without cumulative effect	Superintendent of police	Director	Director General of Police
			(ii) Censure (iii) Warning with copy on personal file	Superintendent of police	No appeal shall lie	-----------
2	Expert	Superintendent of police	(i). Stoppage of Increment without cumulative effect	Superintendent of police	Director	Director General of Police
3	Head Classifier					
4	Senior Classifier		(ii) Censure (iii) Warning with copy on personal file	Superintendent of police	No appeal shall lie	-----------
5	Junior Classifier					
			Major Penalties			
1	Supervisor	Director	(i). Dismissal or removal (ii) Reduction in Rank (iii) Stoppage of Increment with cumulative effect.	Director	Director General of Police.	Government
2	Expert	Superintendent of police	(i). Dismissal or removal (ii) Reduction in Rank (iii) Stoppage of Increment with cumulative effect (i). Dismissal or removal (ii) Stoppage of Increment with cumulative effect	Superintendent of police	Director	Director General of Police /Government.
3	Head Classifier					
4	Senior Classifier					
5	Junior Classifier					

Appendix D

(see rule 15)

Sr. No	Designation of Posts	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalties	Appellate Authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Supervisor	(i) Reducing or with holding the amount of ordinary/ additional pension admissible under the rules governing pension. (ii) Terminating the appointment of member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for Superannuation.	Director	Director General of Police	Government.
2	Expert	(i) Reducing or with holding the amount of ordinary/ additional pension admissible under the rules governing pension. (ii) Terminating the appointment of member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for Superannuation.	Superintendent of police	Director	Director General of Police/ Government.
3	Head Classifier				
4	Senior Classifier				
5	Junior Classifier				

Appendix E

(see rule 11)

Sr. No.	Designation of post	Name of Course	Details of Courses and other conditions for maintaining promotion Lists.
1	2	3	4
			Part-1
1	**Supervisor**	----	The recommendation in respect of Experts considered fit for promotion to the rank of Supervisor, shall be submitted by Superintendent of Police to the Director. After perusal of the recommendation and consideration of service record, the Director shall decide to endorse the recommendations so received and forward them to the Director General of Police. The Director General of Police may bring names of recommended Experts in order of seniority as per availability of vacancy in the Bureau.
			Part-II
2	**Expert**	**Third Course**	All Head Classifiers shall have to successfully complete a promotional course called Third Course prior to their admission to promotion list for Experts: Provided that all Head Classifiers who have successfully passed the All India Board of Examination for Finger Print Expert conducted by National Crime Record Bureau, New Delhi shall be exempted from passing the Third Course. Officials of all ranks in the Bureau are allowed by National Crime Record Bureau, New Delhi to appear for this examination provided they have put in three years service in Finger Print Branch. When cases of promotion for Experts are taken up, officials who have passed the All India Board of Examination for Finger Print Experts shall be considered first depending upon the vacancies. The list of Head Classifiers who are eligible for promotion to the rank of Expert shall be maintained in the office of Director with the prior approval of Director. The selection shall be made in the month of January each year and shall be limited to the number of vacancies in the rank of Expert.
			Part-III
3	**Head Classifier**	**Second Course**	A promotion list of those Senior Classifiers who have passed the Second Course shall be maintained in the office of Director. Their further promotion shall depend upon the vacancies in the rank of head classifier and their suitability for the same.
			Part-IV
4	**Senior Classifier**	**First course**	(1) Superintendent of Police shall maintain a list of all those Junior Classifiers who have passed the competitive examination. They shall be sent for First Course as per their seniority and service record. Their promotion to the rank of Senior Classifier shall be made on the basis of merit achieved in First course and availability of vacancies. (2) All Junior classifiers who are science graduates shall be eligible for admission in First Course irrespective of their age provided that they have completed minimum three years of service on the 1st day of January of the year in which the selection is made. (3) The Marks to be awarded for educational qualification shall be as under:- (i) Graduate .... 05 marks

(ii) Post Graduate Degree/ Diploma .... 08 marks

(iii) Diploma in Finger Print/ Forensic Science.... 03 marks

(4) The marks to be awarded for training courses which have been passed on or before the 1st day of the year which immediately precedes the year, in which the selection is made will be as under:-

For training courses of two weeks duration...	1/2 mark
For training courses of duration more than 2 weeks but not exceeding 4 weeks...	01 mark
For training courses of duration exceeding 4 weeks but not exceeding 6 weeks...	1.5 marks
For training courses of duration exceeding 6 weeks but not exceeding 8 weeks...	2 marks
For training courses of duration exceeding 8 weeks but not exceeding 12 weeks...	3 marks
For training courses of duration exceeding 12 weeks but not exceeding 16 weeks...	04 marks
For training courses of duration exceeding 16 weeks but not exceeding 20 weeks...	05 marks
For training courses of duration exceeding 20 weeks	06 marks.

(5) Maximum marks awarded for training courses shall be 15. Only the training courses passed by the candidates up to 31st December of the year proceeding the year in which selection is made shall be taken into account while awarding marks. Marks shall be awarded for such training courses of which entries are made in character roll. Further the list of all such training courses for which marks shall be awarded while making selection list after competitive test shall be circulated annually. If a Junior Classifier fails in a training course intentionally, he shall be awarded negative marks equal to the marks which he would have got in case he had completed the training course successfully.

(6) The marks to be awarded for commendation certificate shall be as under:-

Class I	.............3 marks
Class II	.............2 Marks
Class III	.... 1 Marks

(7) The maximum marks for Class I, Class II and Class III Commendation Certificates shall be 15 and in no case shall exceed the maximum limit. For the purpose of awarding marks for commendation certificates, only those certificates shall be considered which have been awarded before the 31st day of December of which immediately proceeds the year, in which the selection is made.

(8) The marks for length of service shall be awarded as under:-

(a) 5-10 years of service 2 marks of each completed year.

(b) 10 years to 20 years of service maximum 24 marks @ 2 marks for each completed year of service after 5 years service.

(9) candidates who had obtained position in Recruit Basic Course shall be awarded marks as under:-

All round 1st	=	7 marks
All round 2nd	=	5 marks
All round 3rd	=	3 marks
All round 4th to 10th	=	2 marks

(10) The marks to be deducted for penalty shall be as under:-

For every major penalty	=	5 marks
For every minor penalty	=	2 marks
For every censure	=	1 mark

(11) A Junior Classifier who is awarded a major penalty shall not be considered for First course for the following 3 calendar years. For the purpose of deduction of marks for major/minor penalty only those penalties shall be considered which are awarded before the 31st day of December of the year which immediately precedes the year, in which selection is made.

(12) If, at the time of selection for admission in first course list (prepared after competitive examination) the score of two Junior Classifiers is found to be equal, then the Junior Classifier who is senior in service shall be selected for admission to the first promotional course. Further, in case two Junior Classifiers who have equal scores and the same seniority, then the Junior Classifier who is higher in inter-se merit in the recruit course shall be brought on First Course list.

(13) The list for first course shall not be final until approved by the Director. He shall also be competent to refer the list back to Superintendent of Police for correction of errors/omission, if any, and also be competent to seek clarifications from the departmental promotion committee.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.

55263—L.R.—H.G.P., Chd.